उत्तर प्रदेश शासन

खेल अनुभाग

संख्या- 10/2017/1480/बयालिस-2017-31(विविध)/2017टी0सी0- ।।

लखनऊ : दिनांक : 02 अगस्त, 2017

कार्यालय-आदेश

किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य/परियोजनाओं हेतु आंकलन उपलब्ध होने के पश्चात थर्ड पार्टी से सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि आंकलन में लागत की जांच की जा सके और न्यूनतम लागत पर परियोजनाओं को स्वीकृत किया जा सके। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

धर्मेन्द्र प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 1480(1)/बयालिस-2017-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, खेल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव।
3- विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, खेल अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निदेशक, खेल, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रधानाचार्य, स्पोर्टस कालेज, लखनऊ, गोरखपुर तथा सैफई को इस सम्बन्ध में निर्देशित कर दें।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

धर्मेन्द्र प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।